

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
01.पप्पुराम उर्फ खीयाराम पुत्र स्व0 श्री लुम्बाराम जाति घांसी निवासी गांव खाराबेरा पुरोहितान तहसील लूणी जोधपुर।		01..भंवरसिंह राजपुरोहित पुत्र श्री गोरधन जाति राजपुरोहित निवासी गाव खाराबेरा पुरोहितान तहसील लूणी जोधपुर। 02.राज्य सरकार जरिये तहसीलदार लूणी

वाद अन्तर्गत धारा ,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति -

01.वादी की ओर से अधिवक्ता सत्यनारायण राजपुरोहितान उपस्थित

02.प्रतिवादीगण संख्या 4 की ओर से प्रहलाद सिंह उपस्थित।

आदेश

दिनांक

08/07/2024

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53188,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.04.2024 को किया गया एव तहसीलदार लूणी को बटवाडा प्रस्ताव हेतु कमिश्नर नियुक्त किया गया तहसीलदार लूणी के माफिक प्राथमिक डिक्री पक्षकारान् के मध्य नियमानुसार अपनी रिपोर्ट मय बटवाडा प्रस्ताव दिनांक 02.07.2024 को पेश किया।

वादी व प्रतिवादीगण द्वारा खसरा नम्बर 925/1 रकबा 1.9425 हैक्टर मे नाम सयुक्त खातेदारी मे दर्ज है तहसीलदार लूणी द्वारा प्रेषित बंटवाडा प्रस्ताव दिनांक 02.07.2024 मय मौका फर्द दिनांक 19.06.2024 को पेश की गई जिसके आधार पर वादी एव प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्ताव पेश किया जो सलग्न पत्रावली है। इसके अनुसार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्सानुसार प्रस्तावित बटवाडा प्रस्ताव निम्ननुसार है-

क.स	खातेदार विवरण	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टर मे	लगान	किस्म
01	01.भंवरसिंह राजपुरोहित पुत्र गोरधनसिंह हिस्सा पूर्ण जाति राजपुरोहित सा देह खातेदार	925/1	1.2950	3.75	बारानी प्रथम
02	01.पप्पुराम उर्फ खीमाराम पुत्र लुम्बाराम हिस्सा पूर्ण जाति घांसी सा देह खातेदार	925/1	0.6475	1.88	बारानी प्रथम



उक्त बटवाडा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया जाने पर दोनो पक्षकाराण सहखातेदार होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण का बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिक्री पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि बंटवाडा प्रस्ताव मौका फर्द दिनांक 19.06.2024 के अनुसार विभाजन कर वादी एव प्रतिवादीगण का हिस्सा राजस्व रेकर्ड मे अलग से बटा नम्बर दर्ज कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करे तथा राजस्व नक्शे मे तरमीम इन्द्राज करे। बटवाडा प्रस्ताव एव मौका फर्द दिनांक 19.06.2024 डिक्री का अभिन्न अग समझा जावे डिक्री पर्चा जारी हो तहसीलदार लूणी को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हों पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

(पुखराज कांसोटिया) RAS
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

डिकरी बमुकदमें इत्तादाई
(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या : 50/2022

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
01.पप्पूराम उर्फ खीयाराम पुत्र स्व० श्री लुम्बाराम जाति घांसी निवासी गांव खाराबेरा पुरोहितान तहसील लूणी जोधपुर।		01..भंवरसिंह राजपुरोहित पुत्र श्री गोरधन जाति राजपुरोहित निवासी गाव खाराबेरा पुरोहितान तहसील लूणी जोधपुर। 02.राज्य सरकार जरिये तहसीलदार लूणी

दावा अंतर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नम्बर 50/2022 यह आज मुकदमा वास्ते इनकिलास किलई रू-ब-रू हमारे बहाजरी वादी मिनजानिब मुददई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती हैं कि


अतः आदेश है कि वादी का वाद बटवाडा प्रस्ताव की मौका फर्द दिनाक 19.06.2024 अनुसार स्वीकार किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से अलग अलग दर्ज किये जाकर राजस्व रेकार्ड मे इन्दाज किये जाने हेतु तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है।

नीज.....मुबलिक.....बाबत.....खर्चा इस मुकुदमें के मय सूद व वगैरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख व तारीख वसुलयाबी तक.....को अदा करें।

बसीब्ता मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 31/06/24 को जारी की गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

मुद्दाई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजी दावा वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफर्रिक मीजान			स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफर्रिक मीजान		



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी